


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) श्री अमित यादव पिता- श्री नन्दकिशोर यादव (2) श्री बितेश कुमार यादव पिता- स्व. रमेश यादव (3) श्री भूनेश्वर यादव पिता- श्री रामधनी यादव; ग्राम: आरा, थाना: बालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:- आरा, थाना: बालुमाथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 91, के अधीन प्लॉट सं. खाता सं. 145 प्लॉट सं. 734, 735, 736, 793, 885, 849, 1221, 1282, 1617, 989, 1210, 1214, 1219, 958, 959, 960, 964, 965, 957, 1032, 969, 980, 982, 886, 909, 936, 937, 939, 1628, 1847, 1854, 1898 खाता सं. 154 प्लॉट सं. 884, 938, 963, 966, 970, 1213, खाता सं. 93 प्लॉट सं. 680, 994, 995, 997, 998, 1047, 1048, 1050, 1630, 1631, 1632, 348, 349, 530, 350, 352, 351. कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है

विवाद
27/3/23


27/3/23